

महिला आरक्षण वधियक 2023

प्रलिस के लयल:

संसद और राज्य वधलनसभलएँ, दललल को वशलष दरुल, आरकुषण डुरलवधलन और सकलरलतुडक नीतयलँ

डेनुस के लयल:

लुकसभल और राज्य वधलनसभललँ के लयल आरकुषण डुरलवधलनलँ के डुलक अंतुरसंडुध, अनुड राज्य वधलनसभललँ और दललल वधलनसभल के डुलक अंतर

[सुरत: इंडयलन एकसडुरेस](#)

करुल डे कुडुल?

हलल ही डे [लुकसभल](#) और [रलकुडसभल](#) दुनुने डे **डहललल आरकुषण वधलडक 2023 (128वलँ संवैधलनकल संशुधन वधलडक)** अथवल नलरुी शकुतलवलदुन अधनलडड डुरलरतल कर दलडल ।

- डह वधलडक लुकसभल, राज्य वधलनसभललँ और दललल वधलनसभल डे **डहललललँ के लयल एक-तहललई सुीटँ आरकुषण करतल है** । डह लुकसभल और राज्य वधलनसभललँ डे अनुसुललतल डलतल तथल अनुसुललतल डनडलतल के लयल आरकुषण सुीटँ डुर डुल ललडु हलडल ।

वधलडक कुी डुरुठडुडल और आवशुडकतल:

- डुरुठडुडल:
 - डहललल आरकुषण वधलडक डुर करुल वरुष 1996 डे डुरुव डुरधलनडंतुरुी अटल डहललरुी वलडडेई के करुडकल से ही कुी डलतुी रहुी है ।
 - लुकुतलतलकललन सरकर के डलस डहुडत नहुी थल, इसलडल वधलडक कुु डनुडुरुी नहुी डलल सकुी ।
 - डहललललँ के लयल सुीटँ आरकुषण करुने हेतु कडल डर डुरडलस:
 - 1996:** डहलल डहललल आरकुषण वधलडक संसद डे डेश कडल डलडल ।
 - 1998 - 2003:** सरकर ने 4 अवसरुँ डुर वधलडक डेश कडल लेकनल डुरलरतल करलने डे असडलल रहुी ।
 - 2009:** वडलनलन वरुीधुँ के डुलक सरकर ने वधलडक डेश कडल ।
 - 2010:** केंदुरुीड डंतुरुडलल और रलकुडसभल दुवलरल डुरलरतल ।
 - 2014:** वधलडक कुु लुकसभल डे डेश कडल डलने कुी उडुडुीद थुी ।
- आवशुडकतल:
 - लुकसभल डे 82 डहललल सलंसद (15.2%) और रलकुडसभल डे 31 डहललललँ (13%) है ।
 - डुकडु डहललुी लुकसभल (5%) के डलद से डह संखुडल कलडुी डुदुी है लेकनल **कुई देशुँ कुी तुलनल डे अडुी डुी कलडुी कड है** ।
 - हलल के संडुकुत रलषुदर डहललल अँकडुँ के अनुसलर, रवलंडल (61%), कडुडल (53%), नकलरलरलडुअ (52%) डहललल डुरतनलधलतलव डे शुरुष तलन देश है । डहललल डुरतनलधलतलव के डलडले डे डलंगुलदलश (21%) और डलकसुतलन (20%) डुी डलरत से आडुे है ।

वधलडक कुी डुखुड वशलषतललँ:

- नकलले सदन डे डहललललँ कुु आरकुषण:
 - वधलडक डे संवधलन डे **अनुकुषेद 330A** शलडलल करुने कल डुरलवधलन कडल डलडल है, कुु अनुकुषेद 330 के डुरलवधलनलँ से लडल डलडल है । डह लुकसभल डे अनुसुललतल डलतल/अनुसुललतल डनडलतल के लयल सुीटँ के आरकुषण कल डुरलवधलन करतल है ।
 - वधलडक डे डुरलवधलन कडल डलडल कल डहललललँ के लयल आरकुषण सुीटँ रलकुडुँ डल केंदुरुशलसतल डुरदेशुँ डे वडलनलन नरलवलकन कुषेतरुँ डे रुरेशन दुवलरल आवंडतल कुी डल सकतुी है ।
 - अनुसुललतल डलतल/अनुसुललतल डनडलतल के लयल आरकुषण सुीटँ डे, वधलडक डे रुरेशन के अधलर डुर डहललललँ के लयल एक-तहललई सुीटँ आरकुषण करुने कुी डलंग कुी डुई है ।

■ **राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:**

- वधियक अनुच्छेद 332A प्रस्तुत करता है, जो हर राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त SC और ST के लिये आरक्षण सीटों में से एक-तहाई महिलाओं के लिये आवंटित की जानी चाहिये तथा विधान सभाओं के लिये सीधे मतदान के माध्यम से भरी गई कुल सीटों में से एक-तहाई भी महिलाओं के लिये आरक्षणित होनी चाहिये।

■ **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली में महिलाओं के लिये आरक्षण (239AA में नया खंड):**

- संविधान का [अनुच्छेद 239AA](#) केंद्रशासित प्रदेश दलिली को उसके प्रशासनिक और वधियी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है।
- वधियक द्वारा [अनुच्छेद 239AA\(2\)\(b\)](#) में तदनुसार संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दलिली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे।
- **आरक्षण की शुरुआत (नया अनुच्छेद - 334A):**
- इस वधियक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षणित करने हेतु परसिमन किया जाएगा।
- आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा। हालाँकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तथितिक जारी रहेगा।

■ **सीटों का रोटेशन:**

- महिलाओं के लिये आरक्षणित सीटें प्रत्येक परसिमन के बाद रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वधियक के वरिोध में तरक:

- वधियक में केवल इतना कहा गया है कि यह "इस उद्देश्य के लिये परसिमन की कवायद शुरू होने के बाद पहली जनगणना के लिये प्रासंगिक आँकड़े प्राप्त करने के बाद लागू होगा।" यह चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे महिलाओं को उनका उचित हिससा मलिया।
- वर्तमान वधियक राज्यसभा और राज्य विधानपरषिदों में महिला आरक्षण प्रदान नहीं करता है। राज्यसभा में वर्तमान में लोकसभा की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो नचिले और ऊपरी दोनों सदनों में प्रतिबिबित होना चाहिये।

नोट: वधियक को संविधान के अनुच्छेद 334 के प्रावधानों से भी लिया गया है, जो संसद को कानूनों के असत्तित्व में आने के 70 वर्षों के बाद आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिये बाध्य करता है। लेकिन महिला आरक्षण वधियक के मामले में, वधियक में महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों की संसद द्वारा समीक्षा किये जाने के लिये 15 वर्ष के सनसेट क्लॉज़ का प्रावधान किया गया है।

कानूनी अंतरदृष्टि: [नारी शक्ति वंदन अधिनियम](#)